(16)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1725–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–4–2012 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला गुना प्रकरण कमांक 12/स्व.निगरानी/2010–11.

वृन्दावन व्यास पुत्र कोमलप्रसाद
निवासी सदर बाजार आरोन
तहसील आरोन जिला गुना .....आवेदक

विरूद्ध

1– कूपरीबाई बेवा पत्नी मोहनलाल
2– लक्ष्मीनारायण पुत्र मोहनलाल
निवासीगण छोटा मोहल्ला आरोन
जिला गुना
3– लीलाबाई पुत्री मोहनलाल पत्नी श्रीराम
निवासी ग्राम भादौर
तहसील आरोन जिला गुना
4– भूरी पुत्री मोहनलाल पत्नी हण्डू
निवासी ग्राम बमूरिया
तहसील आरोन जिला गुना
5– मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर
जिला गुना .....अनावेदकगण

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्रीमती नीना पाण्डे, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 5

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/7/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर, जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–4–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसीलदार परगना आरोन जिला गुना के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आरोन स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1527/1क रकबा 0.836 हेक्टेयर अनावेदिका क्रमांक 1 से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22–9–2000 के माध्यम से क्रय की गई है, परन्तु राजस्व अभिलेखों में नामान्तरण नहीं कराया गया है, अतः प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदिका क्रमांक 5 कपूरीबाई के स्थान पर आवेदक का नाम दर्ज किया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 37/अ–6/2005–06 दर्ज कर दिनांक 31–5–2006 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तत्पश्चात अनावेदिका क्रमांक 1 द्वारा जन सुनवाई में कलेक्टर, जिला गुना के समक्ष इस आशय की शिकायत की गई कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर बिना कलेक्टर की अनुमति के अपना नामान्तरण करा लिया गया है, जबकि इस सम्बन्ध में राजस्व मण्डल में प्रकरण विचाराधीन है । कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर प्रकरण क्रमांक 12/स्व. निगरानी/2010–11 दर्ज कर दिनांक 9–4–2012 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 31–5–2006 निरस्त किया गया एवं प्रश्नाधीन भूमि पूर्ववत शासकीय घोषित की गई । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक ने पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की है, और पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण करने हेतु राजस्व न्यायालय बाध्य हैं । यह भी कहा गया कि पंजीकृत विक्रय पत्र की जांच करने का अधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं है, अतः तहसील न्यायालय द्वारा विक्रेता कपूरीबाई के स्थान पर क्रेता आवेदक का नाम दर्ज करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि जन सुनवाई में की गई शिकायत के आधार पर कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही नहीं की जा सकती है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 165 (7–ख) में वर्ष 1992 में संशोधन हुआ है, जबकि प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा वर्ष 1978 में दिया गया है, इसलिए उक्त संशोधन इस प्रकरण में लागू नहीं होता है ।

तर्कों के समर्थन में 2013 आर.एन. 8 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 5 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि बिना कलेक्टर की अनुमति के कय की गई है, अतः कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर आदेश पारित करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिए कलेक्टर का आदेश स्थिर रखा जाये ।

5/ आवेदक एवं अनावेदक कमांक 5 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर के समक्ष अनावेदिका कमांक 1 द्वारा जन सुनवाई में शिकायत की गई है और कलेक्टर द्वारा जन सुनवाई की शिकायत के आधार पर तहसीलदार का प्रकरण कमांक 37/अ–6/2005–06 आदेश दिनांक 31–5–2006 स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर निरस्त किया गया है, जबकि तहसीलदार का आदेश नामान्तरण आदेश होकर अपीलीय आदेश है और अनावेदिका द्वारा तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत नहीं कर कलेक्टर के समक्ष जन सुनवाई में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, अतः कलेक्टर द्वारा की गई कार्यवाही वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से यह भी स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 12/अ–19/1978–79 में पारित आदेश दिनांक 18–9–1978 से प्रश्नाधीन भूमि का पटटा अनावेदक कमांक 1 के पति एवं अनावेदक कमांक 2 लगायत 4 के पिता मोहनलाल को दिया गया है । इसके अतिरिक्त संहिता की धारा 165(7–ख) में संशोधन वर्ष 1991 में हुआ है, जबकि प्रश्नाधीन भूमि का पटटा वर्ष 1978 में होकर प्रथम अन्तरण वर्ष 1986 में संशोधन के पूर्व हो चुका है । इस संबंध में 2013 आरएन 08 आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य तथा एक अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि –

"धारा–165(7–ख) – की व्याप्ति – पटटेदार को पटटा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये – कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना भूमि का अन्तरण की धारा 165(7–ख) के अधीन पटटा रद्द नहीं किया जा सकता । "

अतः उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में कलेक्टर द्वारा की गई कार्यवाही एवं पारित आदेश अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में कलेक्टर, जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–4–2012 निरस्त किया जाता है । तहसील न्यायालय परगना आरोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–5–2006 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर